समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

(100)

R 44-I-17

निगरानी कमाक /2017

आशीष शर्मा तनय रामनरेश शर्मा निवासी जवरग नगर वार्ड नं 18 छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.।

..आवेदक

श्री अनील सिंह ... द्वारा आज दि 3-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. प्रगति गुप्ता पत्नी एस0के0 गुप्ता निवासी छतरपुर रेज कालोनी छतरपुर म.प्र.व अन्य
2. म.प्र. शासन

........अनावेदक

12
3-1-17

निगरानी मध्य प्रदेश भू -- राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के अपील क 160/अ--3/2015--16 में पारित 7.11.16 एवं तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क 20/अ--3/15--16 में पारित आदेश दिनांक 12.4.2016 के विरूद्ध ।

3-1-17

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :--

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण--

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा सर्वे कमाक 3797/2/2, 3797/2/1/1, 3797/1/3 , एवं खसरा कमाकं 3798/2/3 गोजा छतरपुर अनावेदक के स्वत्व के भूमि थीं जिसमें खसरा कमाक 3797/के बंटाक मध्य रेलवे मे चले गये जिनका मुआबजा भी अनावेदक के नाम अवार्ड में अंकित है इस तथ्य को छुपाकर अनावेदक ने चोरी छूपे उक्त खसरा नम्बरो की तरमीम खसरा नं 3797 के बजाय 3798 मे करवा ली जिसकी कोई सूचना न

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 44/1/2017 जिला–छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर
2-1-17	यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क 20/अ–3/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 12.4.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता , 1959 की धारा 50 कें अतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा आवेदक द्धारा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक द्धारा तहसीलदार छतरपुर के नक्सा तरमीम के आदेश दिनांक 12.4.2016 के विरूद्ध भूलवश व त्रुटि वंश अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील क 160/अ–3/2015–16 प्रस्तुत कर दी गई जवकि तरमीम /सीमांकन एक दूसरे के पूरक है इसलिये अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चलने योग्य न होने से आवेदक द्धारा इस न्यायालय के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी प्रस्तुत कर नक्सा तरमीम आदेश तहसीलदार छतरपुर को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया । 3/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अनावेदक क 1 प्रगति गुप्ता ने तहसीलदार छतरपुर को भूमि सर्वे कमाक 3797/1/1/1,3797/2/2,3797/2/3,3798/2/3 कुल किता 4 कुल रकवा 0.068 हे0 भमि का तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया	

गया जिस आवेदन पत्र पर से तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रकरण क 20/अ–3/15–16 पंजीवद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर निम्नानुसार आदेश दिनांक 12.4.2016 को पारित किया गया है:–

" *अतः म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 अंतर्गत धारा 70 के तहत मौजा स्थित भूमि खसरा नंबर 3797/1/1/1, 3797/2/2 ,3797/2/3 3798/2/3 का तरमीम प्रतिवेदन प्रदर्श पी–1 , पंचनामा प्रदर्श पी–2 , नक्सा ट्रेस प्रदर्श पी–3, अनुसार स्वीकृत किया जाता है रा0नि0 पेन्शिली तरमीम को लाल स्याही से मूल नक्सा में पुक्ता करें । तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल अभिलेखागार हों।* "

प्रकरण में संलग्न एवं लालस्याही से चिन्हित भूमि सर्वे कमाक 3797 एवं 3798 नक्सा अक्स अनुसार वडा भू भाग है जिसमें से 3798/2/3 अनावेदक का खसरा भी नही है उसके उपरांत भी अन्य किसी के खसरे को तरमीम करा लिया गया है जो अवैध है। राजस्व निरीक्षक ने अक्स तैयार कर सर्वे नम्बरान को लालस्याही से चिन्हित किये है और इसी चिन्हॉकम को तहसीलदार ने आदेश दिनांक 12.4. 2016 से अंतिमता प्रदान की है । विचार योग्य है कि क्या नक्सा तरमीम किये जाने से पूर्व सभी सरहर्दी कृषको को सूचना पत्र जारी किया गया है ,सुनवाई का मोका दियागया है नोटिस तामील जारी की गई है ऐसा कई भी उल्लेख नही है अनावेदक द्वारा किसी अन्य के भूमि सर्वे नम्बरो मे भी नक्सा तरमीम करा लिया गया है जो अवैध है। अनावेदकों की खसरा नं 3797 की कुछ भूमि रेलवे मे चली गई थी वह रकवा भी कम नही किया गया है इसलिये वह रकवा भी अधिनस्थ न्यायालय अनावेदक की भूमि से कम किया जावें एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संचालित कार्यवाही भी स्वतः समाप्त मानी जाये।

4/ विचार योग्य है कि क्या किसी व्यापक भूखंड सर्वे कमाक को

नक्से में संशोधन कर विभिन्न सर्वे कमाकों में बदलने हेतु तहसीलदार सक्षम है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत नक्सा संशोधन किया जाता है एंव इस धारा के अधीन बंदोवस्त के समय बदोवस्त अधिकारी एंव बंदोवस्त समाप्ति के उंपरात कलेक्टर नक्शा संशोधन की अधिकारिता रखते है तहसीलदार नक्सा संशोधन हेतु सक्षम अधिकारी नही है। जिसके कारण तहसीलदार छतरपुर द्धारा प्रकरण क 20/अ—3/15—16 में पारित आदेश दिनांक 12.4.2016 अधिकार विहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर द्धारा प्रकरण क 20/अ—3/15—16 में पारित आदेश दिनांक 12.4.2016 अधिकारिता विहीन पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य